394

संख्या–2945 /XVIII-(2)/2015-15(15)/2015

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1,

देहरादून :दिनांक 28 अगस्त, 2015

विषयः– मंदाकिनी घाटी में आपदा पुनर्निर्माण कार्यों के लिये गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (पी0आई0यू0) से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–966/XVIII(2)/15-15(15)/2015, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राज्य में वर्ष 2013 में आयी आपदा के उपरान्त केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन तथा जनपद में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई (P.I.U.) का गठन किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश 06.04.2015 में निम्नानुसार अतिरिक्त प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(क) पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2015 के द्वारा डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग को पी0आई0यू0 के रूप में सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ तक पुनर्निर्माण कार्यों के सम्पादन का दायित्व दिया गया है। अब इस पी0आई0यू0 का कार्यक्षेत्र सीतापुर से श्री केदारनाथ के मध्य विस्तारित किया जाता है।

(ख) उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2015 द्वारा डी0डी0एम0ए0 रूद्रप्रयाग, पी0आई0यू0 के अन्तर्गत कार्य सम्पादन के लिये पीआई0यू0 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, एक सिविल कार्य ईकाई तथा एक बाढ़ सुरक्षा ईकाई कार्यदायी संस्था के रूप में अनुमन्य की गयी है। कार्यों के महत्व व समयबद्धता को देखते हुए शासन द्वारा स्वीकृत किसी भी कार्यदायी संस्था से कार्य संपादन हेतु पी0आई0यू0 को अधिकृत किया जाता है।

(ग) उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए राज्य के पास कोई विशिष्ट कार्यदायी ईकाई न होने के कारण विभिन्न पुनर्निमाण कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य को इस क्षेत्र में अपने मानव संसाधन को भी विकसित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत श्री केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एस0डी0आर0एफ0) की एक कम्पनी को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सिविल कार्य ईकाई के रूप में भी गठित करते हुए पी0आई0यू0 रूद्रप्रयाग के अधीन किया जायेगा। इसके लिये सिविल कार्य ईकाई गठित करने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

क्रमश.....2

(3)

3– उक्त शासनादेश दिनांक 06.04.2015 के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव

संख्या–2945 (1) /XVIII-(2)/2015-15(15)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
4– सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7– आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– अधिशासी निदेशक, डी0एम0एम0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव